मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक 5851415 /2011/ डी. एम. सी/चार भोपाल दिनांक 06/07/2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
समस्त विभागाध्यक्ष,
मध्य प्रदेश

विषय : - ऋण अभिलेखों का संधारण।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों में निरन्तर यह प्रतिवेदित किया जा रहा है कि राज्य शासन के विभागों द्वारा उनके अन्तर्गत संचालित संस्थाओं, उपक्रमों, मण्डलों, समितियों आदि को समय-समय पर स्वीकृत ऋणो एवं इन ऋणों की ब्याज सहित वापसी आदि से संबंधित अभिलेखों का समुचित संधारण नहीं किया जा रहा है। इन प्रक्रियाओं में अनुश्रवण आदि की प्रणालीगत कमियों की ओर भी प्रतिवेदनों में ध्यान आकर्षित किया गया है।

2/ उपर्युक्त स्थिति में सुधार एवं अभिलेखों के समुचित संधारण के लिये वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्देश जारी किये गये हैं। पूर्व निर्देशों को संदर्भित करते हुये वित्त विभाग द्वारा पुनः ज्ञाप क्रमांक 1049/2010/ब-07/डी.एम.सी./चार दिनांक 27/09/2010 जारी कर विभागों से अपेक्षा की गई है कि ऋणों से संबंधित अभिलेखों का समुचित संधारण कर वित्त विभाग को अवगत करावें परन्तु अनेक प्रशासकीय विभागों द्वारा अभी तक इन विषय में वांछित कार्यवाही नहीं की है।

3/ अतः विभिन्न विभागों द्वारा बजट के माध्यम से निगम, मण्डलों, सहकारी संस्था आदि को दिये गये अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक ऋणों एवं उनकी वापसी की जानकारी के संधारण के लिये निम्नांकित प्रक्रिया निर्धारित की जाती है : -

(क) प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी किये जाने वाले ऋण स्वीकृति आदेशों पर अनिवार्यतः वित्त विभाग से पृष्ठांकन कराया जाए। वित्त विभाग से पृष्ठांकित नहीं कराए गए ऋण स्वीकृति / भुगतान आदेशों के विरुद्ध कोषालय से आहरण नहीं हो सकेगा।

(ख) प्रशासनिक विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले ऋण स्वीकृति आदेशों में सुसंगत अन्य तथ्यों के साथ निम्नांकित तथ्य अनिवार्य रुप से सम्मिलित होने चाहिए।

(i) ऋण की राशि एवं अवधि

(ii) ब्याज दर

(iii) ऋण वापसी (मूलधन एवं ब्याज) के दिनांक सहित किश्तों का उल्लेख

(iv) मुख्य शीर्ष, जिसमें ऋण वापसी की राशि जमा होनी है

(ग) ऋण स्वीकृतकर्ता प्रशासनिक विभाग एवं ऋण प्राप्तकर्ता संस्था के मध्य अनुबंध का निष्पादन किया जाएगा जिसमें अन्य सुसंगत तथ्यों के साथ निम्नांकित तथ्य अनिवार्य रुप से सम्मिलित होने चाहिए : -

(i) ऋण का उद्देश्य तथा ऋण प्राप्तकर्ता एजेन्सी से अपेक्षित कार्यों (Deliverables) के विवरण

(ii) ऋण स्वीकृति क्रमांक एवं दिनांक

(iii) ऋण प्रारंभ की तिथि, ऋण की राशि एवं ब्याज दर / दाण्डिक ब्याज दर, आदि

(iv) मोरेटेरियम अवधि (यदि हो तो)

(v) ऋण वापसी की किश्तों की की समय सारणी जिसमें किश्तवार राशि का उल्लेख हो

(vi) ऋण वापसी की किश्तें समय पर नहीं चुकाने पर लगने वाली पेनल्टी

(vii) वह परिस्थितियां जिनमें पूर्ण ऋण को समय पूर्व वसूल (Recall) किया जा सकेगा

(viii) अन्य आवश्यक बिन्दु

(घ) ऋण की मूल राशि एवं ब्याज / दण्ड ब्याज की वापसी एवं वापसी में व्यतिक्रम (Default) की जानकारी, विभागों द्वारा 30 सितम्बर तक की स्थिति 15 नवम्बर तक तथा 31 मार्च तक की जानकारी 15 मई तक प्रति वर्ष वित्त विभाग को संलग्न प्रपत्र - 1 में उपलब्ध कराई जाएगी।

(च) विभागों से पृष्ठांकन हेतु प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर वित्त विभाग में आवश्यक जानकारी निर्धारित अभिलेखों / साफ्टवेयर में संधारित की जायेगी।

(छ) ऋण वापसी की गणना के लिये निम्नांकित सूत्र का उपयोग किया जा सकता है (एन्यूटी आधारित ई. एम. आई.)।

p = ऋण की राशि

r = वार्षिक ब्याज दर

f = वर्ष में भुगतान की जाने वाली किश्तों की संख्या

n = अवधि (वर्षों में)

i = r/f

किश्त की राशि=pXi(1+i)^(nXf)/((1+i)^(nXf)-1)

[^ से आशय घातांक या raise to the power से है]

(ज) प्रशासनिक विभाग द्वारा ऋण, ऋण वापसी एवं ब्याज प्राप्ति की राशि का नियत अन्तराल पर महालेखाकार कार्यालय से मिलान कराया जाएगा।

(झ) ऋण वापसी एवं ब्याज भुगतान के व्यतिक्रम की स्थिति होने पर सामयिक व परिणामजनक कार्यवाही का पूर्ण उत्तरदायित्व प्रशासनिक विभाग का रहेगा।

4/ उपर्युक्त प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है तथा विभागों से अनुरोध है कि दिनांक 01/04/2011 की स्थिति में लम्बित ऋणों की जानकारी वित्त विभाग को दिनांक 31/07/2011 तक उपलब्ध करायें। विभाग स्तर पर अभिलेखों के संधारण की पूर्व व्यवस्था यथावत रहेगी।

(जी. पी. सिंघल)
प्रमुख सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक / /2011/ डी. एम. सी/चार भोपाल दिनांक /07/2011

(1) आयुक्त कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश भोपाल। कृपया उपर्युक्त निर्देशों से विभागों में पदस्थ समस्त वित्तीय सलाहकारों तथा कोषालयों को अवगत कराते हुये पालनार्थ निर्देशित करें।

(अजय चौबे)
अवर सचिव,
मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग
मंत्रालय, भोपाल

विभाग .....

ऋण राशि की वापिसी की जानकारी

प्रपत्र-1

बजट नियंत्रण अधिकारी .....

स. क्र.	ऋण प्राप्तकर्ता एजेन्सी का नाम	ऋण स्वीकृति आदेश का क्रमांक, दिनांक एवं ऋण की राशि	जानकारी की अवधि में वापिसी हेतु निर्धारित राशि			प्राप्त राशि (कॉलम 4 के विरुद्ध)			शासकीय कोष में जमा करने का संदर्भ			अभ्युक्ति
			मूलधन	ब्याज	कुल	मूलधन	ब्याज	कुल	कोषालय	चालान क्रमांक व दिनांक	राशि	
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)			(6)			(7)

हस्ताक्षर
उप सचिव / अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन

..... विभाग